न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोह मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 09/2022

उनवान

1 बन्नाराम वयस्क पुत्र बंशीधर
2 सुरेशकुमार वयस्क पुत्र बंशीधर
जातिमाली (सैनी) निवासी बिदारा, तह0शाहपुरा, जिलाजयपुर, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. अर्जुन वयस्क पुत्र सूरजमल
2. सन्तोष वयस्क पुत्र सूरजमल
3. मंगल वयस्क पुत्र सूरजमल
4. केसरचन्द वयस्क पुत्र सूरजमल
5. सीताराम वयस्क पुत्र सूरजमल
6. तीजा वयस्क पत्नी सूरजमल
7. सन्तीदेवी पत्नी स्व0 बिरदीचन्द
8. कमलेशपुत्र स्व0 बिरदीचन्द
9. विनोदकुमार पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
10. इन्द्राज पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
11. किरण नाबालिग पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
12. उमराव देवी पत्नी स्व0 गिरधारी
13. टीना पुत्री स्व0 गिरधारी
14. संगीता पुत्री स्व0 गिरधारी
15. अरविन्द पुत्र स्व0 गिरधारी
16. सरिता पुत्री स्व0 गिरधारी
17. सुमन पुत्री स्व0 गिरधारी
18. राजकुमारी पुत्री स्व0 गिरधारी
19. गिरीराज पुत्र स्व0 सरदारमल
20. संदीप पुत्र स्व0 सरदारमल
21. सुरमा पुत्र सरदारमल
22. पवन पुत्र सरदारमल
23. आशा देवी पुत्री स्व0 सरदारमल
24. श्यामलाल पुत्र स्व0 सरदारमल
25. चन्दा देवी पुत्री स्व0 सरदारमल
26. छोटी देवी पुत्री सरदारमल
27. सुमन देवी पुत्री सरदारमल
28. सरजो देवी पुत्री सरदारमल
29. मन्नी देवी पत्नी सरदारमल
30. कालू वयस्क पुत्र प्रभात
31. गजानन्द वयस्क पुत्र प्रभात
32. ग्यारसीलाल वयस्क पुत्र प्रभात
33. लादूराम वयस्क पुत्र प्रभात
34. गणपत राम वयस्क पुत्र प्रभात
35. गुलाबचन्द वयस्क पुत्र प्रभात
36. रामसिंह पुत्र प्रभात
37. शिम्भूदयाल पुत्र प्रभात
38. फूली पत्नी कानाराम
39. घीसी देवी पत्नी सुवालाल
40. प्रकाश पुत्र सुवालाल
41. मुरलीधर पुत्र सुवालाल
42. रामकुंवार पुत्र सुवालाल
43. विनोद पुत्र सुवालाल
44. शिवपाल पुत्र सुवालाल
45. श्रवणी देवी पुत्री सुवालाल
46. सीता देवी पुत्री सुवालाल
47. भगवती देवी पुत्री सुवालाल

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज

48. ममतापुत्री सुवालाल
49. छीतर पुत्री रूडा
50. दिनेश वयस्क पुत्र धूणीलाल
51. शंकरलाल वयस्क पुत्र धूणीलाल
52. सुभाष वयस्क पुत्र धूणीलाल
53. बनारसी पत्नी धूणीलाल
54. बनारसी पत्नी स्व0 रामेश्वर
55. महेन्द्रकुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर
56. श्रवणकुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर
57. मूलचन्दपुत्र स्व0 रामेश्वर
58. मदनलाल पुत्र स्व0 रामेश्वर
59. बंशीधर पुत्र स्व0 बाला
60. बाबूलाल पुत्र स्व0 बाला
61. भंवरलाल पुत्र स्व0 बाला
62. हनुमान पुत्र स्व0 बाला
63. मंजू वयस्क पुत्र रामलाल
64. सरितावयस्कपुत्री स्व0 रामलाल
65. ममता वयस्क पुत्री स्व0 रामलाल
66. संजू वयस्क पुत्री स्व0 रामलाल
67. सुजा देवी पत्नीरामलाल
68. मुंशीलाल पुत्र गोपी
    समस्त जाति माली, निवासी ढाणी नवाकी बिदारा, तह0 शाहपुरा, जिलाजयपुर, (राज0)
69. ओरियन्टल बैंक ऑफकामर्स शाखा–शाहपुरा, जरिये प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
70. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया–शाखा–शाहपुरा जरिये प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–शाहपुरा, जिलाजयपुर।
71. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा–शाहपुरा जरिये प्रबन्धक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक
72. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–शाहपुरा, जिलाजयपुर (राज0)
73. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिलाजयपुर।
74. उप पंजीयक तहसील–शाहपुरा, जिलाजयपुर, (राज0)

–तरतीबीप्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी</u>

<u>उपस्थिति</u>

1. श्री रणवीर कपूरिया वकील <u>प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण</u> की ओर से
2. श्री कान्तिचन्द शर्मा वकील <u>अप्रार्थी/वादीगण</u> की ओर से

आदेश दिनांक 2/2/2023

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में वादी के द्वारा आराजी ,ख0नं0 826 रकबा 1.48 है0 वाकै ग्राम बिदारा तह0 शाहपुरा का खातेदारान के मध्य बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादीयागण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 9.1.2023 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मान्य न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त अन्तर निहित शक्तियों के अन्तर्गत भी धारा 151 सीपीसी के तहत भी ऐसे वाद जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग विधि विरूद्ध अर्थहीन मनमाने वाद दायर कर मान्य न्यायालय व उभयपक्षों के बेशकीमती समय की बर्बादी को रोकने की गरज से प्रस्तुत किये जाते है उन्हें तत्काल खारिज किये जाने की पूर्ण अधिकारिता प्राप्त है। ऐसे मामलों में न्यायालय मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। प्रशनगत वाद वर्णित भूमि पूर्व से ही उनवानी वाद हनुमान बनाम अर्जुन वगै0 विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी पक्षकार है तथा <u>वादी/अप्रार्थीगण</u> भी पक्षकार है जब पूर्व में पेश वाद में अपनी समस्त आपत्ति न्यायालय श्रीमान् के समक्ष रखने का विकल्प उनवानी वाद हनुमान वगै0 बनाम अर्जुन वगै0 में उपलब्ध है तो प्रशनगत वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील <u>वादी/अप्रार्थीगण</u> ने अपना जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रस्तुत वाद किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। केवल मात्र मुकदमे की कार्यवाही को देरी करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तथा जाहिर किया कि सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी भूमि के विभाजन का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। ऐसी सूरत में प्रस्तुत वाद में वादी के पास अपनी समस्त आपत्ति न्यायालय श्रीमान के समक्ष रखने का विकल्प अन्य विचाराधीन वाद हनुमान बनाम अर्जुन वगै0 में उपलब्ध होना अर्थहीन हो जाता है। अन्त में वादी/अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया । वकील अप्रार्थी/वादियागण ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।
(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।
(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।
(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

प्रश्नागत प्रकरण वादपत्र किसी विधि से वर्जित होने के साथ पेश किया गया है। प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रशनगत आराजी के संबंध में ही अन्य वाद विचाराधीन होने से प्रशनगत प्रकरण का कोई औचित्य नही रह जाता है। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब व बहस में सहखातेदार होने से अपनी सहखातेदारी भूमि के विभाजन का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त होने से वाद पत्र वैध होना जाहिर किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में प्रशनगत वाद से पूर्व में वाद हनुमान बनाम अर्जुन वगै0 विचाराधीन होने से इस वाद का कोई औचित्य नहीं होना साबित होता है तथा पूर्ववर्ति वाद भी बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का ही विचाराधीन है। विवादित आराजी के संबंध में अन्य दीगर वाद प्रस्तुत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि से वर्जित होना साबित होता है।

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र विधी से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02/02/23. को सरै इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोह मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 09/2022

उनवान

1. बन्नाराम वयस्क पुत्र बंशीधर
2. सुरेशकुमार वयस्क पुत्र बंशीधर

जाति माली (सैनी) निवासी बिदारा, तह0शाहपुरा, जिलाजयपुर, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. अर्जुन वयस्क पुत्र सूरजमल
2. सन्तोष वयस्क पुत्र सूरजमल
3. मंगल वयस्क पुत्र सूरजमल
4. केसरचन्द वयस्क पुत्र सूरजमल
5. सीताराम वयस्क पुत्र सूरजमल
6. तीजा वयस्क पत्नी सूरजमल
7. सन्तीदेवी पत्नी स्व0 बिरदीचन्द
8. कमलेशपुत्र स्व0 बिरदीचन्द
9. बिनोदकुमार पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
10. इन्द्राज पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
11. किरण नाबालिग पुत्र स्व0 बिरदीचन्द
12. उमराव देवी पत्नी स्व0 गिरधारी
13. टीना पुत्री स्व0 गिरधारी
14. संगीता पुत्री स्व0 गिरधारी
15. अरविन्द पुत्र स्व0 गिरधारी
16. सरिता पुत्री स्व0 गिरधारी
17. सुमन पुत्री स्व0 गिरधारी
18. राजकुमारी पुत्री स्व0 गिरधारी
19. गिरीराज पुत्र स्व0 सरदारमल
20. संदीप पुत्र स्व0 सरदारमल
21. सुरमा पुत्र सरदारमल
22. पवन पुत्र सरदारमल
23. आशा देवी पुत्री स्व0 सरदारमल
24. श्यामलाल पुत्र स्व0 सरदारमल
25. चन्दा देवी पुत्री स्व0 सरदारमल
26. छोटी देवी पुत्री सरदारमल
27. सुमन देवी पुत्री सरदारमल
28. सरजो देवी पुत्री सरदारमल
29. मन्नी देवी पत्नी सरदारमल
30. कालू वयस्क पुत्र प्रभात
31. गजानन्द वयस्क पुत्र प्रभात
32. ग्यारसीलाल वयस्क पुत्र प्रभात
33. लादूराम वयस्क पुत्र प्रभात
34. गणपत राम वयस्क पुत्र प्रभात
35. गुलाबचन्द वयस्क पुत्र प्रभात
36. रामसिंह पुत्र प्रभात
37. शिम्भूदयाल पुत्र प्रभात
38. फूली पत्नी कानाराम
39. घीसी देवी पत्नी सुवालाल
40. प्रकाश पुत्र सुवालाल
41. मुरलीधर पुत्र सुवालाल
42. रामकुंवार पुत्र सुवालाल
43. विनोद पुत्र सुवालाल
44. शिवपाल पुत्र सुवालाल
45. श्रवणी देवी पुत्री सुवालाल
46. सीता देवी पुत्री सुवालाल
47. भगवती देवी पुत्री सुवालाल

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

48. ममतापुत्री सुवालाल
49. छीतर पुत्री रूडा
50. दिनेश वयस्क पुत्र धूणीलाल
51. शंकरलाल वयस्क पुत्र धूणीलाल
52. सुभाष वयस्क पुत्र धूणीलाल
53. बनारसी पत्नी धूणीलाल
54. बनारसी पत्नी स्व0 रामेश्वर
55. महेन्द्रकुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर
56. श्रवणकुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर
57. मूलचन्दपुत्र स्व0 रामेश्वर
58. मदनलाल पुत्र स्व0 रामेश्वर
59. बंशीधर पुत्र स्व0 बाला
60. बाबूलाल पुत्र स्व0 बाला
61. भंवरलाल पुत्र स्व0 बाला
62. हनुमान पुत्र स्व0 बाला
63. मंजू वयस्क पुत्र रामलाल
64. सरितावयस्कपुत्री स्व0 रामलाल
65. ममता वयस्क पुत्री स्व0 रामलाल
66. संजू वयस्क पुत्री स्व0 रामलाल
67. सुजा देवी पत्नीरामलाल
68. मुंशीलाल पुत्र गोपी
    उ समस्त जाति माली, निवासी ढाणी नवाकी विदारा, तह0 शाहपुरा, जिलाजयपुर, (राज0)
69. ओरियन्टल बैंक ऑफकामर्स शाखा–शाहपुरा, जरिये प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
70. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया–शाखा–शाहपुरा जरिये प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–शाहपुरा, जिलाजयपुर।
71. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा–शाहपुरा जरिये प्रबन्धक जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक
72. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर जरिये प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–शाहपुरा, जिलाजयपुर (राज0)
73. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिलाजयपुर।
74. उप पंजीयक तहसील–शाहपुरा, जिलाजयपुर, (राज0)

–तरतीबीप्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रणवीर कपूरिया वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री कान्तिचन्द शर्मा वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक 02/02/2023

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र विधी से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02/02/23. को सरै इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner